न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक
(लोकेश कुमार गौतम, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

पत्रावली संख्याः– 31/2012
प्रविष्टि दिनांकः– 22.11.2012

सरकार जरिये तहसीलदार मालपुरा

..........प्रार्थी

बनाम

1.अबदुल्ला पुत्र श्री अहमद अली जाति मुसलमान निवासी मालपुरा जिला टोंक
2.टोंक जि.स.भू0वि0 बैंक लि0 टोंक

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवण्टन) नियम 1970

उपस्थित :(1) श्री जुगनू शर्मा, अभिभाषक, राजकीय पेरोकार
(2) श्री सलीम नकवी, अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1
(3) अप्रार्थी सं0 2 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 20.10.2016

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि विपक्षी अबदुल्ला पुत्र अहमद अली जाति मुसलमान निवासी मालपुरा को ग्राम जादमों की ढाणी मालपुरा तहसील मालपुरा के खसरा नंबर 5331/1 रकबा 10 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ दिनांक 16.09.1970 को आवण्टित की गई थी। आवण्टी (अप्रार्थी) द्वारा भूमि को काश्त नहीं करने के कारण तहसीलदार मालपुरा ने उक्त आवण्टन को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र मय आवण्टन पत्रावली न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया है।

2. प्रार्थी (तहसीलदार मालपुरा) ने सबूत दस्तावेजों में नामांतकरण सं0 1652, 3334, रिपोर्ट पटवारी एवं आवण्टन पत्रावली प्रस्तुत की है।

3. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की जरिए नोटिस तलबी की गई। प्रतिपक्षी सं0 2 के अभिभाषक अनु0। अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1 द्वारा जवाब मय काउन्टर क्लेम प्रा0 पत्र आ0 ऑर्डर 10 नियम 1 सी0पी0सी0 व आर्डर 8 रूल 6ए सी0पी0सी0 पेश किया। अप्रार्थी सं0 2 के विरूद्व कार्यवाही एकतरफा की जाकर बहस राजकीय अभिभाषक एवं अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1 सुनी गई।

4. राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी अबदुल्ला पुत्र अहमद अली मुसलमान निवासी मालपुरा को भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा विवादित भूमि खसरा नंबर 5331/1 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम जादमों की ढाणी मालपुरा तहसील मालपुरा में कृषि प्रयोजार्थ दिनांक 16.09.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

1970 को आवण्टन की गई थी परन्तु आवण्टी (अप्रार्थी) द्वारा उक्त भूमि पर आदिनांक काश्त नहीं की है । पूर्व में उक्त भूमि का नामांतकरण सं0 1652 बाबत गैर खातेदारी से खातेदारी खारिज हो चुका है एवं नामांतकरण सं0 3334 से भूमि टोंक जि.सह.भू.वि. बैंक लि0 टोंक के राहिन दर्ज हुई है। अप्रार्थी द्वारा आवण्टन शर्तो की पालना नहीं की है, जो पटवारी की रिपोर्ट से स्पष्ट है। आवण्टी (अप्रार्थी) द्वारा आवण्टित भूमि पर काश्त न कर आवण्टन शर्तो का उल्लघंन किया है। अतः विवादित भूमि का अप्रार्थी को किया गया आवण्टन निरस्त योग्य है।

5. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी अबदुल्ला पुत्र अहमद अली मुसलमान निवासी मालपुरा को विवादित भूमि खसरा नंबर 5331/1 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम जादमों की ढाणी तहसील मालपुरा का कृषि प्रयोजनार्थ दिनांक 16.09.1970 को आवण्टन हुआ था तथा वर्ष 1979 के आवण्टन को वर्ष 2012 में चेलेन्ज किया है जो मेन्टेबल नहीं है। न्यायालय हाजा द्वारा जारी नोटिस के संलग्न तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14(4) जो अप्रार्थी को प्राप्त हुआ है उसमें विवादित आराजी ख0नं0 5331/1 के बाबत वर्णन किया गया है जिससे अप्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अप्रार्थी तो आज की तारीख में ख0नं0 5331/3 रकबा 10 बीघा का गैर खातेदार बदस्तूर है जो चालू जमाबंदी सम्वत 2070–73 से स्पष्ट है जिसमें अप्रार्थी द्वारा काश्त किये जाने का भी अंकन किया गया है। अप्रार्थी सन् 1975 से ख0नं0 5331 रकबा 10 बीघा का गैर खातेदार बदस्तूर काबिज चला आ रहा है जिसे राजस्व विभाग द्वारा खातेदार घोषित किया जाना चाहिये था जो नहीं किया गया, अप्रार्थी ने इस वर्णित काश्त की भूमि ख0नं0 5331/3 पर भूमि विकास बेंक से ऋण लेकर कुंआ बनवाया है। ख0नं0 5331/3 रकबा 10बीघा भूमि अप्रार्थी के नाम आज भी दर्ज राजस्व रिकार्ड मौजूद है। उक्त सभी तर्को से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी चलने योग्य नहीं है। अतः प्रा0 पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जाकर अप्रार्थी को ख0नं0 5331/3 रकबा 10 बीघा का खातेदार घोषित किया जावे।

6. हमनें राजकीय अभिभाषक एवं अभिभाषक अप्रार्थी की बहस को सुना, उस पर मनन किया तथा आवण्टन पत्रावली एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानर्पूवक अवलोकन किया। अप्रार्थी अबदुल्ला पुत्र अहमद अली निवासी मालपुरा तहसील मालपुरा को विवादित भूमि खसरा नंबर 5331/1 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम जादमों की ढाणी तहसील मालपुरा में दिनांक 16.09.1970 को भूमि आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ आवण्टन किया जाना प्रार्थी (तहसीलदार मालपुरा) ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अप्रार्थी को दिनांक 23.06.68 को भूमि आवण्टन किया जाना अंकित किया है। अतः दोनों तथ्य विरोधीभासी है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2066–69 जो आवण्टन पत्रावली के साथ संलग्न की है वह खसरा नंबर 5331/1 की न होकर ख0नं0 5331/3 की है, नामांतकरण सं0 3334 जो स्वीकार किया गया है वह भी अप्रार्थी के हक में खसरा नंबर 5331/3 का स्वीकार किया गया है, अप्रार्थी द्वारा जो जमाबंदी व खसरा गिरदावरियां पेश की है वह भी आवण्टन दि0 23.06.68 ख0नं0 5331/3 की है। आवण्टन पत्रावली में आवण्टन की दिनांक 23.06.68 ही अंकित की गई है किन्तु प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में आवण्टन की दिनांक 16.09.70 व अप्रार्थी को आवण्टित रकबा 5331/1 अंकित किया गया है। इससे जाहिर है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र से संबंधित दस्तावेजात संलग्न नहीं

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

किये है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा पूर्ण जांच कर प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे प्रार्थी (तहसीलदार, मालपुरा) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) समर्थन योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

7. फलतः उपरोक्त विवेचन की रोशनी में प्रार्थना पत्र प्रार्थी (तहसीलदार मालपुरा) सारहीन होने से खारिज किया जाता हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 20.10.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)

Scanned by CamScanner